बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प::—

श्री करमचन्द साह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, आरा अन्तर्गत L037 बेहरा खजुरिया रोंड से सेमरिया पथ में अनियमितता के संदर्भ में तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पंथ के प्राक्कलन में संलग्न चेक लिस्ट पर जमीन का स्थलीय सत्यापन किये बिना जमीन की उपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, चतुर्थ चालू विपत्र में ग्रेड—2 एवं ग्रेड—3 की मापी अंकन में लापरवाही बरतने तथा कार्य पूर्ण करने में विलंब होने संबंधी आरोपों पर गठित आरोप पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1526 अनु0 दिनांक 14.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता—1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता—4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. मुख्य अभियंता—1—सह—संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही संपन्न कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 02.06.2020 समर्पित किया गया, जिसमें श्री साह के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन में आरोप के संदर्भ में प्रतिवेदित निष्कर्ष निम्नवत हैं:—

जॉच प्रतिवेदन की कंडिका 8.0 में अंकित है कि सड़क निर्माण हेतु गलत सर्वेक्षण माना जा सकता है तथा यह भी उल्लेखित है कि विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट आयोजिला Consultant के द्वारा बनाया गया है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि पथ निर्माण होने के इतने दिनों के उपरान्त अभी तक स्थल विवाद संबंधी कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जमीन के विवाद के संबंध में जॉच पदाधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि जमीन विवादित था जबकि आरोपित पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं0—1893 दिनांक 14.06.2011 के अनुसार आरोप को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य का संलग्न होना आवश्यक है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोप सं0—1 प्रमाणित नहीं होता है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव बयान के समर्थन में NQM Report को संलग्न किया गया है। NQM Report की कंडिका 3 में Geometrics में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त कंडिका 6 में Base Course को Satisfactory बताया गया है।

Geometrics एवं Base Course की Grading 's' है। इसके अतिरिक्त Overall Grading भी Satisfactory अंकित है। SQM की Report में भी Geometrics एवं Base Course की Grading 's' अंकित की गई है। अतएव SQM Report, NQM Report तथा आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान के आलोक में आरोप सं0–2 प्रमाणित नहीं होता है।

आरोपित पदाधिकारी दिनांक 31.07.2015 तक प्रमंडल में पदस्थापित थे जबकि कार्य समाप्ति की अवधि दिनांक 26.08.2015 थी। कार्य के विलम्ब होने में सहायक अभियंता की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। अतएव आरोप सं0–3 प्रमाणित नहीं होता है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उससे सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री साह को दोषमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री करमचन्द साह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रश्नगत मामले में दोषमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ 16/9/24

(डा0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–4–112/2015(Recast) 2503 /पटना, दिनांक:– 18-9-24

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

ह०/ 16/9/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— 2/अ०प्र०—4—112/2015(Recast) 2503 /पटना/दिनांकः— 18.9.24

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा/प्रशाखा पदाधिकारी—5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री करमचन्द साह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पताः—विक्टर कॉलोनी, (प्रभात कॉलोनी), नियर आई0एम0ए0 हॉल, पूर्णियाँ, जिला—पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/24
संयुक्त सचिव